न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 229/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए

नवजोत सिंह पुत्र हर्षपिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. हर्षविन्द्र सिंह उर्फ हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2– श्री कन्हैयालाल स्वामी – वकील प्रति सं. 1
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 2

निर्णय दिनांक :– 5.6.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी का पिता हर्षविन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिह चक नं. 22 एएमपी खाता सं. 146/110 में कुल खाता 3.530है. का विरास्तन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है जिसमें मुझ वादी का जन्मजात हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी न. 1 का आपस में घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरूबंटवारा के वादी के हिस्सा में प.नं. 113/170 मु.नं. 38 कि.नं. 5/1/0.202, 5/2/0.025, 5/3/0.026, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 1.265है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि हिस्सा में आई हैं जिसका वादी विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काश्त करने के लिए बीज खाद का ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है किंतु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादी ने प्रतिवादी से कई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा के हक हिस्सा में आई विरास्तन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद करवा देवें लेकिन प्रतिवादी पहले तो टालमटोल करता रहा एवं अंत में पिछले सप्ताह देने से कतई इनकार कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वादी को घरूबंटवारा मुताबिक जन्मजात हक हिस्सा का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित कर मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:35:38
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

घरूबंटवारा व कब्जा काश्त के खाता तक्सीम नही किया गया तो वादी को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन में न हो सकेगी। प्रतिवादी नं. 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। इनसे किसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है। दावा दो रूपए के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 22 एएमपी खाता सं. 146/110 में 1.265है. का विरासतन खातेदार काश्तकार है। वादी पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार हक हिस्सा में आई कृषि भूमि का खाता तक्सीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमावे। चक न. 22 एएमपी खाता स. 146/110 मे प्रतिवादी नं. 1 का 1.265है. हिस्सा कम कर वादी का नाम जोड़ा जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के बीच राजीनामा पेश हुआ, जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी नवजोत सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 22 एएमपी खाता सं. 146/110 जमाबंदी संवत 2070–73 की जमाबंदी प्रदर्श करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 22 एएमपी खाता सं. 146/110 जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादी प्रतिवादी संख्या हर्षविन्द्र सिंह उर्फ हर्षपिन्द सिह का पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 22 एएमपी खाता सं. 146/110 जमाबंदी संवत 2070–73 में आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.06.18 17:35:3
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय आज दिनांक 5.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:35:38
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 229/2024

नवजोत सिंह पुत्र हर्षपिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. हर्षविन्द्र सिंह उर्फ हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 22 ए.एम. खाता संख्या 146/110 में प्रतिवादी संख्या 1 हर्षविन्द्र सिह उर्फ हर्षपिन्द्र सिह पुत्र निरंजन के नाम दर्ज आराजी में से 1.265 है. आराजी का वादी नवजोत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 हर्षविन्द्र सिह उर्फ हर्षपिन्द्र सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाता है तथा वादी का खाता चक 22 एएमपी के प.नं. 113/170 मु.नं. 38 कि.नं. 5/1/0.202, 5/2/0.025, 5/3/0.026, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 1.265है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि अनुसार अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आंदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल 100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5/6/24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:35:38
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया